भारत में महिला उद्यमिता : एमएसएमई क्षेत्र

भारत सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि सभी नीतिगत पहलों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने, महिला उद्यमियों का महत्व जानने-पहचानने और देश की प्रगति और समृद्धि में उनकी आर्थिक भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार ऋण, नेटवर्कों, बाज़ारों और प्रशिक्षणों तक महिलाओं को पहुँच दिलाकर उन्हें देश के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रिम भूमिका देने का प्रयास कर रही है। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं में उद्यमिता की भावना जगाकर उनका सशक्तीकरण करके अनेकानेक अवसर उपलब्ध हैं और इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने के वास्ते मूल्यवर्धन, रोज़गार जुटाने, समानता-आधारित आय का वितरण करने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

समीरा सौरभ | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। ईमेल : sameera.saurabh@gmail.com

भारत के महापंजीयक के अनुसार महिलाओं का कार्य-सहभागिता अनुपात 25 प्रतिशत है जो विश्व के सबसे कम अनुपातों में गिना जाता है। खबरों के मुताबिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और भी कम हो रही है। बार-बार आने वाली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि महिला-भागीदारी में इस कमी का मुख्य कारण बच्चों की सुरक्षित और बढ़िया देखभाल की व्यवस्था का अभाव होना है। परिवारों के सामाजिक और स्त्री-पुरुष अनुपात में बदलाव के कारण बाल्यावस्था में बढ़िया किस्म की देखरेख सेवाएँ जरूरी हो गई हैं। वर्ष 2016 में मातृत्व लाभ अधिनियम और वर्ष 2017 में उसमें संशोधन पारित होने से 6 महीने से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों को उत्तम क्वालिटी की

स्वाति सिंह : टेक-आधारित फैशन ब्रॉंड असीम शक्ति की संस्थापक स्वाति सिंह महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उनकी समाज में बदलाव लाने की क्षमता में पक्का विश्वास रखती हैं। उन्होंने दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए काम के अवसर जुटाने की सरल भावना से अपनी शुरुआत की थी।

''मैककिन्से द्वारा अध्ययन के अनुसार कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता 10 प्रतिशत बढ़ा देने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2025 तक 770 अरब डॉलर की वृद्धि की जा सकती है।''

इस स्व-सहायता ग्रुप (समूह) ने महिलाओं को प्रशिक्षण, समर्थन और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए ताकि महिलाओं को बिना किसी बाधा के आमदनी होती रहे। यह समूह ही आगे चलकर असीम शक्ति बन गया। यह डीपीपी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर में पनप कर बढ़ा और इसका मिशन 2025 तक 10,000 महिलाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है और यह सुनिश्चित करता है कि हर महिला को उचित आय हो सके ताकि वहाँ काम करने में बराबर रुचि लेती रहे। इस कंपनी का मानना है कि महिलाओं का कार्यबल में शामिल होना सामाजिक गतिशीलता के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसके व्यावहारिक और दीर्घावधि वाले आर्थिक प्रभाव भी हैं।

श्रीमती शोभा चंचलानी : अटल इंक्यूबेशन सेंटर में ही पनपकर विकसित हुए एग्रीविजय की सह-संस्थापक और निदेशक हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है। एग्रीविजय किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए देश में अक्षय ऊर्जा की पहली हाट व्यवस्था है जिसमें सौर, बायोगैस, पवन, तापीय और विद्युत ऊर्जा से जुड़े सभी उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध होते हैं जहां ऊर्जा परामर्श दृष्टिकोण से किसानों की ऊर्जा-संबंधी आवश्यकताओं को समझा जाता है और साथ ही उनके यहां उत्पादों की सिफारिश करके उन्हें बेचने तथा जीएचजी/कार्बन डाइऑक्साइड निकासी कम करके

बाल देखभाल सुविधा-सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा सुधार आया है। साथ ही, महिलाओं को कार्यस्थल में समुचित क्रेच सुविधाएं और उनके रखरखाव जैसी ढाँचागत सुविधाएं कम ही उपलब्ध होती हैं और इसी प्रकार के अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी भी बनी रहती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में माना गया कि ऋण तक पहुँच न होना एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष बड़ी चुनौतियों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय वित्त आयोग (आईएफसी) द्वारा 2022 में जारी 'भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले बहुत छोटे उद्यमों के लिए अवसर और सीमाएं' शीर्षक रिपोर्ट में भी ऋण तक पहुँच का अभाव महिला उद्यमियों के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों में से महत्वपूर्ण चुनौती है। इन खामियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार महिला उद्यमियों के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है।

एमएसएमई क्षेत्र की महिलाओं में उद्यमिता की भावना जगाकर उन्हें अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराता है और मूल्य संवर्द्धन, रोज़गार सृजन, आय के समानता-आधारित वितरण और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके उनके आर्थिक, सामाजिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 जुलाई, 2020 से 27 जनवरी, 2023 के बीच उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कुल एमएसएमई में से लगभग 18.67 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले थे। इसी प्रकार 1 जुलाई, 2020 से 27 जनवरी, 2023 के बीच उद्यम पोर्टल पर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई में इस पोर्टल पर पंजीकृत कुल एमएसएमई में सृजित कुल रोज़गारों के 23.59 प्रतिशत रोज़गार सृजित हुए। एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के प्रयास लगातार कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम रखने के लिए अपने यहां कचरे की उपलब्धता पर ध्यान देने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुरूप आय और बचत करके ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जाते हैं।

एग्रीविजय 2020 में कोविड-19 के दौर में इस विजन से शुरू किया गया था:

- किसानों को अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराकर अधिक सशक्त बनाना तथा किसानों और ग्रामीण परिवारों को अक्षय ऊर्जा से लैस करके उन्हें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी बचत और आय बढ़ाना।
- स्थायी विकास लक्ष्य प्राप्त करना और जीएचजी/कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम रखने के लिए किसानों ओर ग्रामीण परिवारों को गांव में ही सभी अक्षय ऊर्जा उत्पाद किफायती और सरल तरीके से मुहैया करना।

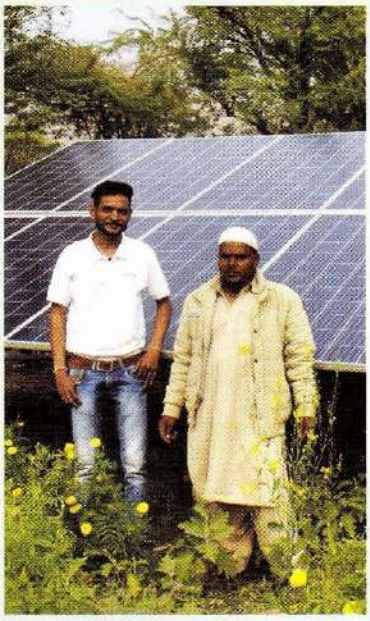

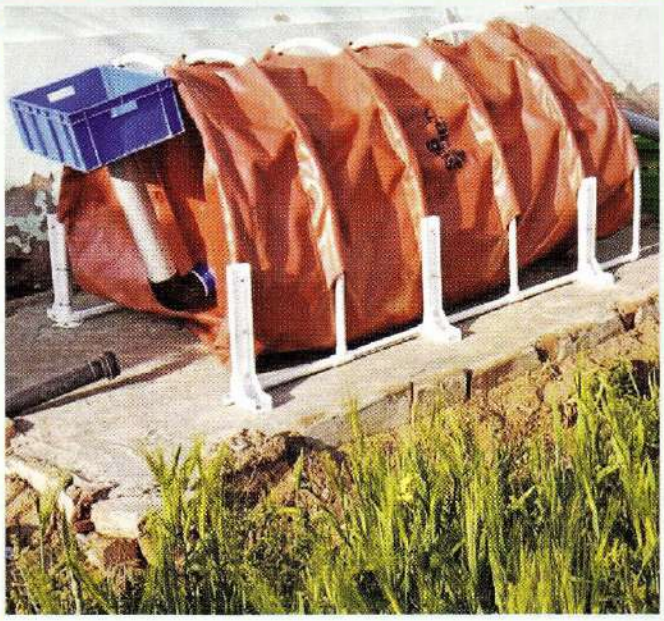

शहनाज़ शेख : एआई-जेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ हैं और उनकी यह कंपनी एआई-इनेबल (कृत्रिम मेधा पर आधारित) पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है जो उन्नत श्रेणी के एआई-एनेबल्ड कीटनाशक प्रबंधन उपकरणों की खोज और निर्माण के लिए कृषि आदानों के नवाचार विकसित कर रहा है। यह उद्यम फसल संरक्षण और टिकाऊ कृषि कार्य के लिए प्रौद्योगिकी की खोज भी करता है जिससे भुखमरी से वैश्विक खतरे और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलती है।

एआई-जेनिक्स की नवीनतम पहल के तहत फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों और फसल प्रबंधन समाधानों से कृषि उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं और लाखों किसान उच्च गुणवत्ता वाली फसलें लेने और फसलों को कीटनाशकों के विषैले प्रभाव से सुरक्षित रखने तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उपज बढ़ाने में सफल हुए हैं।

इस उद्यम का उद्देश्य किसानों की विषैले रसायनों पर निर्भरता कम करना है क्योंकि इनसे सांस लेने के लिए जरूरी हवा, पीने का पानी और खेतों की मिट्टी बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। विश्व में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह उद्यम पर्यावरण और टिकाऊ संसाधनों पर आधारित प्रयास कर रहा है।

(स्रोत : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

- सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की सरकारी खरीद नीति, 2012 (2018 में संशोधित) के अनुसार यह अनिवार्य है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई को अपनी कुल वार्षिक खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमों में करनी होगी।
- मंत्रालय ने समावेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब शुरू किया है। 2016-17 में इस हब के बनने के बाद से अब तक 12,000 से अधिक इच्छुक/मौजूदा महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय एससी/एसटी अब के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- मंत्रालय को 2008 में शुरू की गई प्रमुख योजना- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत कुल 8.37 लाख महिला उद्यमियों में से 2.59 लाख को नये सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देकर समर्थन उपलब्ध कराया जा चुका है जिससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के नये अवसर जुटाए गए हैं।
- महिला उद्यमियों की सहायता के लिए 1 दिसंबर, 2022 से शुरू की गई सीजीटीएमएसई के अंतर्गत महिला उद्यमियों को ऋण गारंटी शुल्क की सामान्य दरों में 10 प्रतिशत रियायत दी जा रही है और गारंटी कवरेज बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है (यह अन्य मामलों में 75 प्रतिशत है)। वर्ष 2000 में शुरू की गई सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले 13.29 लाख एमएसई खातों के लिए 53,080 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी जा चुकी है।
- खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने खादी कार्यक्रम के अंतर्गत 3.99 लाख महिला दस्तकारों को

एमएसएमई मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीडीयू के लिए अपनी वार्षिक सरकारी खरीद में से कम से कम 25 प्रतिशत एमएसएमई में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यमों से करने की अनिवार्यता लागू कर दी है।

काम पर रखा है जो देश के कुल 4.97 लाख दस्तकारों का 80 प्रतिशत है। आयोग मधुमक्खी पालन, पॉटरी, चमड़े के सामान, फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, बेकरी पाठ्यक्रम, टेलरिंग और एंब्रॉयडरी (सिलाई-कढ़ाई), साबुन और डिटर्जेंट बनाने, ब्यूटीशियन कोर्स वगैरह में भी देशभर में महिलाओं को कौशल सिखा रहा है। विगत पाँच वर्षों में और चालू वर्ष में (2017-18 से 31 दिसम्बर 2022 तक) इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1.81 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

- तटवर्ती राज्यों में कॉयर बोर्ड अपनी विभिन्न परियोजनाओं के जरिए महिला कामगारों को बढ़िया किस्म के कॉयर उत्पाद तैयार करके रोज़गार के अवसर जुटाने का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। विगत पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों के तहत 21,654 महिलाओं को कुशल बनाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न पहलों के जरिए महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं।

सार्वजनिक खरीद : सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सरकारी खरीद नीति-2012 (2018 में संशोधित) के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई को अपनी कुल वार्षिक खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमों से करनी होगी। इस नीति का लाभ पाने वाली महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई की संख्या जहां 2019-20 में 3,666 थी वहीं यह धीरे-धीरे बढ़कर 2020-21 में 5,129 और 2021-22 में (2 जनवरी, 2023 तक) 11,232 हो गई थी। इसी प्रकार कुल खरीद के अनुपात में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से हुई खरीद 2019-20 में मात्र 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 0.54 प्रतिशत और 2021-22 में (2 जनवरी, 2023 को) 1.01 प्रतिशत हो गई थी। समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति हब शुरू किया। 2016-17 से शुरू हुई इस योजना के तहत राष्ट्रीय एससी एसटी हब के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 12,000 से अधिक इच्छुक/वर्तमान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

नये उद्यम लगाना और रोज़गार के अवसर जुटाना

एमएसएमई मंत्रालय कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों और दस्तकारों को सहायता-समर्थन उपलब्ध कराता है। 2008 में शुरू की गई मंत्रालय की प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत कुल 8.37 लाख महिला उद्यमियों में से 2.59 लाख महिला उद्यमियों को नये सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी देकर ऋण समर्थन उपलब्ध कराया गया जिससे मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार जुटाने में सफलता मिली।

ऋण सुविधा

सूक्ष्म और लघु उद्यमों में ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत चलाये जा रहे महिला उद्यमियों

की सहायता करने के उद्देश्य से सीजीटीएमएसई योजना के तहत 1 दिसंबर, 2022 से गारंटी शुल्क की सामान्य दरों में 10 प्रतिशत रियायत दी जा रही है और गारंटी कवरेज 85 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि अन्य मामलों में यह 75 प्रतिशत है। वर्ष 2000 में शुरू की गई सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले 13.29 लाख एमएसएम खातों के लिए अब तक 53,080 करोड़ रुपये की गारंटी दी जा चुकी है।

दस्तकार आधारित समूह का विकास : परंपरागत उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष जुटाने की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत परम्परागत क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग (निर्माण) समूह बनाकर दस्तकारों को रोज़गार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। 2014 में फिर से शुरू की गई इस योजना के तहत हस्तकला, हथकरघा, कॉयर, कृषि प्रसंस्करण जैसे परंपरागत क्षेत्रों को कवर करके कुल 2.97 लाख दस्तकारों में से करीब 1.49 लाख महिला दस्तकारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। अभी तक अनुमोदित 498 समूहों में से 86 समूहों में 100 प्रतिशत दस्तकार महिलाएं ही हैं!

कॉयर उद्योग कार्यक्रम : तटवर्ती राज्यों में कॉयर बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला कामगारों को बढ़िया किस्म के कॉयर उत्पाद तैयार करके रोज़गार के अवसर जुटाने का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। विगत पांच वर्ष में इन कार्यक्रमों के तहत 21,654 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बनाया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई के लिए अपनी वार्षिक सरकारी खरीद में से कम से कम 25 प्रतिशत एमएसएमई में से 3 प्रतिशत खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यमों से करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। सरकार ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित सभी एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए कई अन्य योजनाएं लागू की हैं जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और टेक्नोलॉजी केंद्र, परंपरागत उद्योग पुनरुत्थान कोष योजना (स्फूर्ति), खरीद और हाट समर्थन योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) इत्यादि शामिल हैं।

इन सबके अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं भी महिलाओं को उनके उद्यमों में सहयोग-सहायता उपलब्ध कराती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी भावी/वर्तमान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ■